

**न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिंगोली**

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

28<sup>10</sup>/<sub>24</sub> पन्नावली पेश हुई। जायदाद व जायदाद वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में जायदाद व जायदाद वकील को फाट कर केवान लगवाये जाने से बावजूद भी जायदाद व जायदाद वकील उपस्थित नहीं हुये। वसले जाहिर है कि प्रकरण की सायल व सायल वकील काही चलाये रखने में रुचि नहीं है रडेडे।  
 अतः मु. नं. 52/2018 जायदाद पत्र T.I इरि सिंगे वनाम रामस्वरूप वसो कदम पैखी व कदम इरिरी के वकारिन की जाती है।  
 पन्नावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बरान ले कर करते हुये, फाखिल इफ्तलर के

*(Handwritten mark)*

